

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

अप्रार्थीगण

गंगासिंह पुत्र श्री पेपसिंह
जाति राजपूत, निवासी राठौड चौक, गांव
केरु तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत केरु जरिये सरपंच,
पंचायत समिति मण्डोर जिला
जोधपुर।
2. पंचायत समिति मण्डोर जरिये सचिव,
जोधपुर।

97, राज. पंचायतीराज
अधिनियम, 1994

नम्बर 04 सन् 2019

02/2020

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.09.19	<p>प्रार्थी गंगासिंह पुत्र श्री पेपसिंह जाति राजपूत, निवासी राठौड चौक, गांव केरु तहसील व जिला जोधपुर ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख 17, 18, 19, 23 व 124 जो ग्राम पंचायत केरु द्वारा जारी किया गया है को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की।</p> <p>निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अग्रिम सुनवाई हेतु पत्रावली अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर को स्थानान्तरित की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, जोधपुर जोधपुर</p> <p>07/01/2020 पत्रावली आज पेश हुई। यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रावली क्र. 15/1730 दिनांक 25/9/19 के द्वारा प्राप्त हुई। प्राचीन अभिभाषक ने चार पट्टों की निगरानी एक ही निगरानी में कर दी है। जबकि चार पट्टों की अलग-अलग निगरानी पेश करनी चाहिए। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रार्थी अभिभाषक को सूचित किया जावे। पत्रावली डाकवेल द्वारा है।</p> <p>अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर</p>	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए

क्रमांक/क्रि.दि/15/19
25.09.19

